

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 155 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद से है; (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, अस्थिरोग तकनीशियन, भर्ती नियम, 1987; (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ऑपरेशन थिएटर सहायक) भर्ती नियम, 1991 और (iv) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (ऑपरेशन थिएटर परिचर) (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर परिचर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन और वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थिएटर परिचर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन और वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.—**ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ऑपरेशन थिएटर परिचर	04(चार)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र। आवश्यक अनुभव : कम-से-कम 50 विस्तरों वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्य का न्यूनतम छह महीने का अनुभव। टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>2. ऑपरेशन थिएटर सहायक</p>	<p>06 (छह)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)</p>	<p>अचयन</p>	<p>18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति</p>

					के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान सहित 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ पचास बिस्तर वाले किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक वर्ष के अनुभव।</p> <p>टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर परिचर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य। <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>3.ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन</p>	<p>54(चौवन)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)</p>	<p>अचयन</p>	<p>18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थिएटर पाठ्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।</p> <p>(iii) कम से कम पचास बिस्तर वाले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पाँच प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। पंचानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर सहायकों में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन	*01 (एक) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; (3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/25/2003-आरआर]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2020

G.S.R. 155 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Operation Theatre Technician; (ii) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician in Orthopaedics Recruitment Rules, 1987; (iii) the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Operation Theatre Assistant) Recruitment Rules, 1991 and (iv) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, (Operation Theatre Attendant) (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Operation Theatre Attendant, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Operation Theatre Attendant	*04 (Four) 2020 *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
<p>Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar islands , Union territories of Ladakh and Lakshdweep).</p>	<p>(i) 10th pass from a recognised Board and (ii) Certificate in First Aid from a recognised Institute. Essential Experience : Minimum six months experience of working in an Operation Theatre of a recognised hospital of minimum 50 beds. Note 1. – Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. – Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental confirmation Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Operation Theatre Assistant	*06 (Six) 2020 *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100/-)	Non - selection

(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar islands , Union territories of Ladakh and Lakshdweep).	12 th pass with Physics, Chemistry and Biology from a recognised Board with one year experience in Operation Theatre from fifty bedded hospital. Note 1. – Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. – Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Forty per cent by promotion Sixty per cent by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Attendants of Lady Hardinge Medical Hospital with six years regular service in level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheata Kriplani Hospital -Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheata Kriplani Hospital -Member;</p> <p>(3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheata Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member;</p> <p>(3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Operation Theatre Technician	*54 (Fifty-four) (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)	Non-selection

(6)	(7)
<p>Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar islands , Union territories of Ladakh and Lakshdweep).</p>	<p>(i) 12th class pass in Science with Physics, Chemistry and Biology from a recognised Board.</p> <p>(ii) One year Diploma or Certificate in Operation Theatre Course from recognised Board, Institution or University.</p> <p>(iii) One year experience of working in Operation Theatre in a minimum fifty bedded hospital.</p> <p>Note 1. – Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. – Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	Five per cent promotion. Ninety-five per cent direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Assistants of Lady Hardinge Medical Hospital with five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100/-).	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member;</p> <p>(3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member;</p> <p>(3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Operation Theatre Technician	*01 (One) (2020) *subject to variation on dependent workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)	Non-selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Technicians of Lady Hardinge Medical Hospital with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-).	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) for consisting of:-</p> <p>(1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member;</p> <p>(3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/25/2003-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली,